क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : ...43.../OA-274/2022/2024 दिनांक ...09/04/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 15.02.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the response/status report before Hon'ble National Green Tribunal in compliance to order dated 15.02.2024 in OA No-274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Response/Status report.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 274 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Prem Aggarwal ...Applicant

Versus

Govt. of NCT Delhi & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

Sr. No.	Description	Pg. No.
1.	Uttar Pradesh Pollution Control Board's Response in Response/Status report of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 15.02.2024 in OA 274/2022	01-04
2.	**Annexure-I** – Closure of M/s Sidra Washing, Plot no. 8 Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni Ghaziabad.	05-06
3.	**Annexure-II** – Revocation of show cause notice along with imposition of Environment compensation of M/s Jai Maa Garments, A-16, Roop Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	07-
4.	**Annexure-III** – Revocation of show cause notice along with imposition of Environment compensation of M/s Lakshya Enterprises (Old Name Shikha Enterprises)–A-44, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	08
5.	**Annexure-IV** – Closure order of M/s Nisha Print, A-11, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	09-10
6.	**Annexure-V** – Show Cause Notice of M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	11-12
7.	**Annexure-VI** – Show Cause Notice of M/s. M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	13-14

FILED BY

(Vikas Mishra)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad

Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 15.02.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. has passed order on dated 15.02.2024 and directed following:-

"............6.Learned Counsel for respondent's no. 1, 2, 4 to 9 and UPPCB and the officers present before this Tribunal seek time for filing of detailed responses/status reports and apprising this Tribunal about the progress made.

8. Minutes of the Meeting and status reports by all the respondents be filed within three weeks thereafter by email at judicial-ngt@gov.in. preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.........."

In the compliance of the above aforesaid mentioned order officials from UPPCB conducted survey of Sahibabad Drain, Indirapuri Drain & Banthala Drain. Detailed report is as follows:

Sahibabad Drain: -

Sahibabad drain carries untreated domestic effluent of residential areas Bhopura, Gagan Vihar, Shalimar garden, Garima garden, Janakpuri, Pasaunda, rahjendra Nagar Residential area, Village Sahibabad, Village Jhandapur, village Karkar mandan, Village Maharajpur, Chander Nagar, Surya Nagar, Kaushambi & Vaishali etc. and carries treated effluent of industries located in Sahibabad Industrial Area and Rajendra Nagar Industrial Area. Sahibabad drain is partially tapped for treatment near NH-24 in 74MLD STP at Indirapuram before entering in Delhi at Ghazipur. Rest effluent of Sahibabad drain meets in Shahdara Drain and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Presently Sahibabad Industrial area is being used for Industrial, Commercial as well as institutional activities. As per office records, there are 113 water polluting industries situated / operated in the catchment area of the Sahibabad Drain.

Officials of UPPCB collected samples from various points of Sahibabad Drain during the survey on dated 27.03.2024. The analysis results of drain sample collected from various points as shown

below:-

S.No	Sampling point	pH	Color	Odour	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L
1.	Sahibabad Village Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.94	Turbid	Faint	104.0	148.0	60.0
2.	Rapid Rail Metro Station, Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.76	Turbid	Unpleasant	95.0	200.0	88.0
3.	Surya Nagar Bridge	6.52	Turbid	Faint	98.0	252.0	58.0
4.	Near Country Inn Hotel Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.48	Turbid	Faint	96.0	264.0	70.0
5.	Sahibabad Drain Tapping Point	7.22	Blackish	Unpleasant	90.0	233.0	86.0

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent

Indirapuri Drain and banthla drain

Indirapuri drain carries untreated domestic effluent of residential areas ikram nagar, Dehroti khurd, Balram Nagar, Indirapuri Colony etc and carries treated effluent of industries located in Roop nagar Industrial Area, Shyam Industrial area, Arya Nagar Industrial area and Rural Industrial area. Indirapuri drain meets in Shahdara Drain near Jauharipur and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Banthala drain is mainly carries untreated domestic effluent of residential areas Behta Hajipur, Gulab Vatika and Banthla etc. No industrial estate is located in the catchment of this drain. Banthla drain meets in Shahdara Drain near near Ganga Vihar and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Officials of UPPCB have taken samples from various point of Indirapuri and Banthla Drain during the survey. The analysis results of drains sample collected from various points as shown below:-

Sl. No	Sampling point	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L	Total Coliform MPN/100 ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1	Indirapuri	20.03.2024	7.22	Turbid	36.0	110.0	128.0	3300000	2700000
2	Banthala	20.03.2024	6.72	Turbid	38.0	126.0	144.0	3500000	2400000

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

Action taken: -

The industries situated in the catchment area of these drains are being regularly monitored and accordingly, action is being taken under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 against the non-complying industries. Thus, it is being ensured that industries should discharge their effluent after being properly treated as per the Environmental Norms and actions are also being taken against the defaulting industries. Details of latest action taken are given below:-

Sr. No.	Name & Address	Action Taken
1	M/s Sidra Washing Plot-8, Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued closure order on dated 01.01.2024 under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,55,000/-. **(Annexure-I)**
2	M/s Jai Maa Garments A-16, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Show Cause Notice revoked along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,25,000/- **(Annexure-II)**
3	M/s. Laskhya Enterprises (Old Name Sikha Enterprises), A-44, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Show Cause Notice revoked along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,25,000/- **(Annexure-III)**
4	M/s. Nisha Prints, A-11, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	UPPCB issued closure order on dated 01.01.2024 under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with Environmental compensation of Rs.11,40,000/-. **(Annexure-IV)**
5	M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry **(Annexure-V)**
6	M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry **(Annexure-VI)**

7	M/s Kunwar Singh Jeans Dyeing, Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
8	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-I), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
9	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-II), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
10	M/s Faisal Washing, Plot No-B-23, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
11	M/s Sujit Sadh Dyeing, B-120, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.

(Navneet Kumar)
AEE
U.P.P.C.B
Ghaziabad

(Kunwar Santosh Kumar)
AEE
U.P.P.C.B
Ghaziabad

Annexure- I 85

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05042/C-1/जल/जी–306/बन्दी आदेश/2023 Date: 01-01-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स सिदरा वाशिंग,
प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद। 9654695146

यह कि मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में गारमेन्ट, डाइज, कलर/केमिकल, कास्टिक सोडा आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच–01872/सी–1/जल/जी–306/ का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उद्योग इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 19.07.2021 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी तथा ई0टी0पी0 में टरसरी ट्रीटमेन्ट व्यवस्था यथा सैण्ड फिल्टर तथा एक्टीवेटिड कार्बन फिल्टर संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी हैं।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

......2/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

5

Scanned with OKEN Scanner

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना एवं निर्गत निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में 01 माह के अन्दर जमा कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त उद्योग द्वारा पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में 15 दिन के अन्दर उपरोक्त खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

<u>सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।</u>

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

6

Scanned with OKEN Scanner

Annexure- II 87

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H0 5642 /C-1/जी–718/का0ब0नो0–निक्षेप/2023 Date: ..12/01/24..
पंजीकृत

सेवा में,
मैसर्स जय माँ गारमेण्ट्स,
ए–16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.10.2023 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–01869/सी–1/जी–716/ का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 26.12.2023 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत पत्र संख्या एच–01869/सी–1/जी–716/ का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के साथ निक्षेपित किया जाता है:–

1. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये–11,25,000/–(रू0 ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) को कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण तिथि से 01 माह के अन्दर बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस पुनः प्रभावी हो जायेगा।
2. इकाई द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार से किया जाये कि शुद्धिकृत हो रहे उत्प्रवाह समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
3. इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं रख रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या प्रत्येक तिमाही राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग के विरूद्ध अन्य प्रकरणों पर आधारित प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. टैक्सटाइल चार्टर के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 35390/सी–7/नोडल टैक्सटाइल–102/19 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरूण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

(7)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-III

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05641 /C-1/जी–718/का0ब0नो0–निक्षेप/2023 **Date:** 12/01/24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज),
ए–44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, 9911241739
गाजियाबाद।

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.10.2023 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–01870/सी–1/जी–718/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 26.12.2023 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत पत्र संख्या एच–01870/सी–1/जी–718/ का0ब0नो0/ 2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के साथ निक्षेपित किया जाता है:–

1. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये–11,25,000/–(रू0 ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) को कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण तिथि से 01 माह के अन्दर बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस पुनः प्रभावी हो जायेगा।
2. इकाई द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार से किया जाये कि शुद्धिकृत हो रहे उत्प्रवाह समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
3. इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं रख रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या प्रत्येक तिमाही राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग के विरूद्ध अन्य प्रकरणों पर आधारित प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. टैक्सटाइल चार्टर के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 35390/सी–7/नोडल टैक्सटाइल–102/19 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरूण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www

(2)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05073/C-1/जल/जी-717/बन्दी आदेश/2023 Date: 01-1-24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स निशा प्रिन्ट,
ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में Grey Jeans, Fabric आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच-01871/सी-1/जल/जी-717/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू0 11,40,000/- (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी हैं

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैः-

1. यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

......2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरण अधिनियमों की अवहेलना एवं निर्गत निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर रू0 11,40,000/– (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 11,40,000/– (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में 01 माह के अन्दर जमा कराया जाये।

<u>सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।</u>

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

10

उत्तर प्रदेश 66 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 40/B73 /C-1/जी–180/का0ब0नो0/2023 Date: 12.10.23

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स,
प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 58313/सी–1/जल–180/बन्दी आदेश–निलम्बन/2021 दिनांक 02.02.21 का अनुपलान तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

68

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 10874 /C-1/जी–540/का0ब0नो0/2023 Date: 12-10-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड ब्लीचिंग ऑफ रेडिमेड गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0–28/1/15, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 84375/सी–1/जल/जी–540/का0ब0नो0–निक्षेप/2022 दिनांक 18.11.2022 का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1